न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28/2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत
 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह मैनेजर
 एफबीओ मैसर्सः—आशापुरा मल्टी पर्पज वेंचर, खसरा नम्बर 615/338, सिकन्दरा ग्राम मोतीपुरा साहूपाडा रोड तहसील बसवा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री विनोद पालीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 27.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.01.2023 को दोपहर 12:45 बजे मैसर्स आशापुरा मल्टी पर्पज वेंचर, खसरा नम्बर 615/338, सिकन्दरा ग्राम मोतीपुरा साहूपाडा रोड तहसील बसवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मैनेजर श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को उक्त फर्म का मैनजर होना होना बताया। जिसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय निर्माण ईकाई पर 61 कार्टून **X** 12 बोतल **X** 1 लीटर पैकिंग में पैक ड्रिंकिंग वाट बिलसारी **(Packaged Drinking Water Bilsari Brand)** खरीदा। जिसकी कीमत 185 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बिलसारी **(Packaged Drinking Water Bilsari Brand)** के 16 बोतलों में से चार—चार बोतलों के चार भाग नमूने तैयार किये एवं लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG**—3155 गोंद से चिपकाकर नमूनो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर नमूनो पर एफ.बी.ओ. विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व एक सील बन्द नमूना एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील [illegible] श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 19.01.2023 को खाद्य विश्लेषक राज[illegible] वहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां [illegible] सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.01.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को [illegible] चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.01.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बिलसारी **(Packaged Drinking Water Bilsari Brand)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. /62/एक्ट/2023/84 दिनांक 30.01.2023 प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जांच रिपोर्ट में नमूना मिसब्राण्ड पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद पालीवाल उपस्थित आये किन्तु ना ही अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./62/एक्ट/2023/84 दिनांक 30.01.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बिलसारी **(Packaged Drinking Water Bilsari Brand)** के लेबल के नमूने पर **Ingredients-Not Labelled, USE BY/EXPIRY-Not Labelled, Nutritional Information-Not Labelled** होने से उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **FSS&S Act 2006** के सेक्शन **3(1)(z)(f)(c)(i)** के अन्तर्गत मिसब्राण्ड **(Misbrand)** पाया गया है। जो कि **FSS (Labelling & Display) Regulation 2020 Regulation No. 5(3) & 5(10)** का उल्लंघन है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बिलसारी **(Packaged Drinking Water Bilsari Brand)** का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा (2)(**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 52 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./62/एक्ट/2023/84 दिनांक 30.01.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बिलसारी **(Packaged Drinking Water Bilsari Brand)** का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की 26 (2) (**II**) के अनुसार मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बिलसारी **(Packaged Drinking Water Bilsari Brand)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 52 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बिलसारी **(Packaged Drinking Water Bilsari Brand)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह मैनेजर एफबीओ मैसर्सः–आशापुरा मल्टी पर्पज वेंचर, खसरा नम्बर 615/338, सिकन्दरा ग्राम मोतीपुरा साहूपाडा रोड तहसील बसवा जिला दौसा पर 3,00,000/–(अक्षरे तीन लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 27.01.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:17:41 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/**FSSA**/ 2025/ दिनांकः– .01.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
3. श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह मैनेजर
   एफबीओ मैसर्सः–आशापुरा मल्टी पर्पज वेंचर, खसरा नम्बर 615/338, सिकन्दरा ग्राम मोतीपुरा साहूपाडा रोड तहसील बसवा जिला दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official